



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228434
CG-DL-E-23072021-228434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2700]
No. 2700]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SRAVANA 1, 1943

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

अधिसूचना

बिलासपुर, 23 जून, 2021

का.आ. 2906(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम. सं.	परियोजना का नाम
1.	नागभीड-नागपुर- ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.), महाराष्ट्र

[फा. सं. सीएओ/सी/एसईसीआर/बीएसपी/नागपुर/ नागभीड/स्पेशल रेल परियोजना]

आर.एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY**NOTIFICATION**

Bilaspur, the 23rd June, 2021

S.O. 2906(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Indian Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the project mentioned in Table below as Special Railway Project in the State of Maharashtra for providing national infrastructure for a public purpose with effect from date of Publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sr . No.	Name of Project
1.	Nagbhir-Nagpur-Gauge Conversion project (106 Km.) , Maharashtra

[F. No. CAO/C/SECR/BSP/Nagpur/Nagbhir/Spl.Rly Project]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Con)